<u>**संख्या-16 /2017/1808/एक-4-2017-111बी-/2012**</u>

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।	3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद,उत्तर प्रदेश।
4- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।	5- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश	6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग- 4   लखनऊः   दिनांकः 08 दिसम्बर, 2017

विषय : 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के माध्यम से जन समस्याओं के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-1/2017/962/एक-4-2017-111 बी-4/2012, दिनांक 21.07.2017 एवं शासनादेश संख्या-13/2017/1729/एक-4-2017-111बी-4/2012, दिनांक 17.10.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशो द्वारा जन समस्याओं के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण किए जाने हेतु 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के आयोजन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। कृपया उक्त शासनादेशो में दिए गये आदेश/निर्देश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

2- उपर्युक्त् के अतिरिक्त 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' पर जिन विभागो के सम्बन्ध में कम शिकायते प्राप्त होती है, उन विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिलाधिकारी अथवा 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पूर्व की शिकायतों के निस्तारण का सत्यापन करने हेतु गॉव में टीम भेज कर टीम से निस्तारण की गुणवत्ता की परख मौके पर करते हुए रिपोर्ट उसी दिन प्राप्त की जाय, जिससे शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की परख मौके पर हो सके।

भवदीय,
(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

<u>**संख्या- 16 /2017/1808(1)/एक-4-2017 दिनांक तदैव।**</u>

[redacted]तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
[redacted]प आफिसर, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त /आवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त , उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (राजस्व), उ0प्र0 शासन।
5- राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in